



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11072026-274379
CG-DL-E-11072026-274379

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3626]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 10, 2026/आषाढ 19, 1948

No. 3626]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 10, 2026/ASHADHA 19, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2026

का.आ. 3788(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 5004(E) तारीख 04/11/2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उड़ीसा राज्य के कलाहांडी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-130C पर भूमि अधिग्रहण सहित धर्मगढ़ बाईपास के निर्माण के लिए भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "22/01/2026 को "थे टाइम्स ओएफ इंडिया", 21/01/2026 को "सकाल" में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

उड़ीसा राज्य के कलाहांडी जिले में NH130C के कि.मी. 201.600 से कि.मी.208.300 (धर्मगढ़ बाइपास) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: उड़ीसा			जिले का नाम: कलाहांडी		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: धर्मगढ़					
गांव का नाम: कासिबाहल					
1	1818/3845	निजी	बेण्णा अणजलसेचित	0.0161878	सौदा जाल पिता- कुशन जाल 1818/3845
2	1818/4610	निजी	बेण्णा अणजलसेचित	0.0303521	बेश्रा परा पुलाई पिता- सिंधू बेश्रा 1818/4610
गांव का नाम: सरधापुर					
3	925	निजी	घरबारि	0.0809389	अभिमन्यु बिहारी, सत्य नारायण बिहारी, रबिन्द्र बिहारी पिता- कुरुक्षेत्र बिहारी, अनुप बिहारी पति- कुरुक्षेत्र बिहारी 925
Total				0.1274788	

[फा. सं. RO/BBSR/11017/LA/97/2016/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July, 2026

S.O. 3788(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **5004(E) Dated:04/11/2025**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of Toll Plaza Maintenance, management and operation of NH130C in the stretch of land for Construction of Dharmagarh Bypass including land acquisition in the district of KALAHANDI in the state of ODISHA.

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Times of India” dated 22/01/2026, “SAKALA” dated 21/01/2026 ; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH130C in the stretch of land from km.201.600 to km.208.300 of NH-130C (Dharamgarh Bypass) for Construction of Dharmagarh Bypass including land acquisition in the district of KALAHANDI in the state of ODISHA

State: ODISHA			District: KALAHANDI		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Dharamgarh					
Village: Kasibahal					
1	1818/3845	Private	Berna Anajalasechita	0.0161878	SOUDA JAL S/O- KUSHAN JAL 1818/3845
2	1818/4610	Private	Berna Anajalasechita	0.0303521	BESHRA PARA PULAI S/O- SINDHU BESHRA 1818/4610
Village: Saradhapur					
3	925	Private	Gharabari	0.0809389	ABHIMANYU BIHARI, SATYA NARAYAN BIHARI, RABINDRA BIHARI S/O- KURUKSHETRA BIHARI, ANUP BIHARI W/O- KURUKSHETRA BIHARI 925
Total				0.1274788	

[F. No. RO/BBSR/11017/LA/97/2016/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director